



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

संयुक्त कुलसचिव / Joint Registrar

अकादमिक / Academics

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/DHCL/10 (2-2) /2014-15/ 255

दिनांक: 06/05/2016

कार्यालय आदेश

श्री कमलेश यादव, पी-एच.डी. शोधार्थी (सत्र: 2013-14), हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग को उ.प्र.सरकार के परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर सेवारत रहते हुए शोधकार्य पूर्ण करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 के बिंदु क्रमांक 17.2 के आलोक में दी जाती है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)

06/05/16

प्रति:

श्री कमलेश यादव
पी-एच.डी. शोधार्थी (सत्र: 2013-14)
हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
म.गां.अं.हि.वि.वि., वर्धा

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ तथा शोध-निर्देशक।
3. विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. परीक्षा विभाग।
5. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक) कार्यालय।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष, पं. रा. सां. केंद्रीय पुस्तकालय।
7. संबंधित फाइल